रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 1999/ज्येष्ठ 11, 1921
No. 126] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 1999/JYAISTHA 11, 1921

संचार मंत्रालय

(डब्ल्यू पी सी विंग)

संकल्प

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

सं. टी-11018-1/99-कॉन.—सरकार, नई दूरसंचार नीति, 1999 में यथा निर्धारित व्यापक स्पैक्ट्रम आबंटन नीतियां तैयार करने के लिए संचार मंत्रालय में बेतार आयोजना समन्वय समिति (डब्ल्यूपीसीसी) गठित करती है। डब्ल्यूपीसीसी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1.	सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली	—	अध्यक्ष
2.	सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली	—	सदस्य
3.	सचिव, रक्षा विभाग, नई दिल्ली	—	-वही-
4.	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, बेंगलूर	—	-वही-
5.	सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	—	-वही-
6.	सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली	—	-वही-
7.	सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली	—	-वही-
8.	सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली	—	-वही-
9.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, नई दिल्ली	—	-वही-
10.	सिग्नल आफिसर-इन-चीफ, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली	—	-वही-
11.	भारत सरकार के बेतार सलाहकार, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली	—	सदस्य-सचिव

समिति, यदि आवश्यक समझे, तो वह अपने कार्यों में किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग भी ले सकती है।

2. समिति, प्रायः आवश्यकतानुसार, बैठक का आयोजन कर सकती है लेकिन वर्ष में दो बैठकें बुलाना जरूरी है।

3. बैठकों में, सचिव स्तर के अधिकारियों के भाग लिए जाने की उम्मीद की जाती है। तथापि, यदि कोई सदस्य बैठक में भाग लेने की स्थिति में न हो, तो उनका प्रतिनिधित्व अपर सचिव स्तर का अधिकारी करेगा।

4. समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे :

(i) स्पैक्ट्रम उपलब्धता की आवधिक समीक्षा करना।

(ii) स्पैक्ट्रम आबंटन के लिए व्यापक नीति निर्धारित करना।

(iii) राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना अपनाना।

(iv) जहां कहीं अनिवार्य हो, क्षतिपूर्ति से संबंधित मसलों सहित, स्पैक्ट्रम उपयोग के पुन:स्थापन पर विचार करना।

(v) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ तथा एशिया-प्रशांत दूरसंचार समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय संधियों की अभिपुष्टि पर विचार करना।

(vi) स्पैक्ट्रम प्रभार से संबंधित व्यापक नीति पर विचार करना।

(vii) रेडियो आवृत्ति आबंटनों (एसएसीएफए) पर स्थायी सलाहकार समिति के अनिर्णीत मुद्दों पर विचार करना।

(viii) डब्ल्यूपीसी स्कंध को सुदृढ़ बनाने और उसके ऑटोमेशन से संबंधित मसलों पर विचार करना।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

6. समिति का अपना सचिवालय संचार मंत्रालय के डब्ल्यूपीसी स्कंध में होगा।

पी.के. गर्ग, संयुक्त बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(WPC Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 21st May, 1999

No. T-11018/1/99-CON.—Government hereby constitutes the Wireless Planning Coordination Committee (WPCC) in the Ministry of Communications, as stipulated in New Telecom Policy, 1999, for evolving broad spectrum allocation policies. The WPCC would consist of :

1.	Secretary, Department of Telecommunications, Ministry of Communications, New Delhi.	Chairman
2.	Secretary, Department of Expenditure, New Delhi.	Member
3.	Secretary, Ministry of Defence, New Delhi.	-do-
4.	Secretary, Department of Space, Bangalore.	-do-
5.	Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi.	-do-
6.	Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.	-do-
7.	Secretary, Ministry of Civil Aviation, Now Delhi.	-do-
8.	Secretary, Planning Commission, New Delhi.	-do-
9.	Secretary, Department of Electronics, New Delhi.	-do-
10.	Signal Officer-in-Chief, Army Headquarters, New Delhi.	-do-
11.	Wireless Adviser to the Government of India, Ministry of Communications, New Delhi.	Member-Secretary

The Committee may associate any special invitee, as considered necessary.

2. Committee would meet as often as necessary but not less than twice in a year.

3. Participation in the meetings is expected to be at the level of Secretary. However, if any member is not in a position to attend, representation would be not below the level of Additional Secretary.

4. Functions of the Committee would be the following :

(i) To undertake periodical review of spectrum availability;

(ii) To determine broad policy for spectrum allocation ;

(iii) To adopt National Frequency Allocation Plan ;

(iv) To consider relocation of spectrum usage, including issues concerning compensation, where necessary ;

(v) To consider ratification of international treaties of International Telecommunication Union and Asia Pacific Telecommunity ;

(vi) To consider broad policy related to spectrum charging ;

(vii) To consider unresolved issues from Standing Advisory Committee on radio Frequency Allocations (SACFA) ;

(viii) To consider issues related to periodic stengthening and automation of WPC Wing.

5. The Head Quarters of the Committee will be at New Delhi.

6. The Committee shall have its Secretariat in WPC Wing of the Ministry of Communications.

P. K. GARG, Jt. Wireless Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999